Clauses 2 to 4 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI CHENNAMANENI VIDYA SAGAR RAO: Sir, I beg to move:

"that the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE BORDER SECURITY FORCE (AMENDMENT) BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I move :

"That the Bill further to amend the Border Security Force Act, 1968, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this is a very innocuous, but very beneficial Bill, with far-reaching consequences because the personnel of the BSF were denied hitherto the facility of setting off of the period of detention from the punishment. This Bill would bring the BSF Act, 1968 in tune with the law of the land, as contained in section 428 of the Cr.P.C. The BSF personnel were not availing of this facility so far which was already available to the civilians under section 428 of the Criminal Procedure Code and which was also available to the Army personnel under section 169 of the Army Act. This provision is also in existence for the ITBP personnel, for the CISF personnel and for the general civilians also. So, by this Bill, it is proposed to amend the BSF Act, 1968, with a view to inserting a new clause, a new provision, in the BSF Act on the lines of section 169A of the Army Act and section 428 of the Criminal Procedure Code, 1973 so as to provide for setting off of the period of pre-trial detention against the sentence of imprisonment imposed on a person governed by the Border Security Force Act, 1968, and the Bill seeks to achieve this aforesaid object. By this, it will also safeguard the legal rights of the BSF personnel facing trial which the citizens of the country are already enjoying.

Incidentally, the Supreme Court also, in its judgement in 1996, has held that section 428 of the Criminal Procedure Code does not apply to the BSF people. The Army Act has its own provision; civilians also enjoy that benefit under the normal law of the land. So, that beneficial provision is there in the Cr.P.C. This was missing so far in the BSF Act. The Supreme Court has also made an observation in its judgement in the case *of Union of India versus Anand Singh Bisht* wherein they pointed out that such a provision should be made. So, this Bill is being placed before this august House for consideration and passing.

The question was proposed.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I just want to draw the attention of the House to the dangers the people of the BSF were subjected to in the recent insurgency activities around the country. Last Sunday, six BSF personnel were killed, forty-three more were injured in two landmine explosions outside Srinagar. These things keep on happening. I would like the Minister to tell us what he is doing in the context of this situation, to protect the people so that they don't die in this inhuman manner.

I would say this also, speaking about Kashmir. Basically, I must tell the reason why I am participating here in this debate which is rather innocuous. We are speaking about Kashmir. We have had debates about Kashmir in recent days; and rightly so. But we have failed, this Parliament has failed--and it is a matter of great embarrassment - to take even notice of the follow-up of Kashmir, the situation in Gujarat. The terrible things that have happened in Gujarat in the wake of the Kashmir situation and the attacks on Amarnath pilgrims have not caught the attention of this House, this Parliament, at all. I request that at least at this late stage, we must make this point to the people of this country that we are aware of what has happened and what is happening in Gujarat, which is as serious and in fact, deeply connected, intrinsically connected, with the situation and events in Gujarat. This is the reason why I am participating here. I hope I have drawn the consciousness of this House and this Parliament to the need to take notice of those tragic events that happened and continue to happen in Gujarat. Both Kashmir and Gujarat are laboratories. They are laboratories of religious fundamentalism and extremism which, unless controlled, can destroy this country. Thank you.

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश) :धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक बहुत साधारण है और इसमें बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है । इसलिए मैं अपने मित्र की तरह इस विधेयक के विषय से बाहर नहीं जाना चाहता और इसी विषय पर, विशेषरूप से सीमा सुरक्षा बल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

महोदय, सीमा सुरक्षा बल के जो हमारे जवान है वे घोषित युद्ध को छोड़कर युद्ध के समान सभी ड्यूटीज करते हैं । कच्छ से लेकर अरुणांचल तक इतनी बड़ी जो हमारी सीमा है उस सीमा की सुरक्षा के लिए उनको पहरेदारी करनी पड़ती है । इसमें एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो दूसरे देशों से लगा हुआ है और जहां बाहर के देश हमारे देश के भीतर तरह तरह की गतिविधियां करने का प्रयास करते हैं । इसमें तस्करी भी शामिल है, जासूसी भी शामिल है और बहुत सी चीजें शामिल हैं । उनसे मुकाबला करते हुए हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवान शहीद होते रहते हैं । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जिस प्रकार की सुविधा शहीद होने पर सैनिकों को दी जाती है उसी प्रकार की सुविधा सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी मिलनी चाहिए । जैसा मैंने पहले कहा कि घोषित युद्ध को छोड़कर बाकी सारे समय इस प्रकार की ये ड्यटी करते हैं जैसे हमारे सैनिक करते हैं, इसलिए इस तरह की इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए । इसके साथ ही साथ हमारे देश के भीतर जब कोई अंदरूनी संकट खड़ा होता है, चाहे बाढ़ का संकट आए, चाहे कहीं अशांति का वातावरण पैदा हो , इनमें भी सीमा सुरक्षा बलों के जवानों की मांग की जाती है । मुझे याद है आज से कुछ समय पहले भी जब देश में कोई साम्प्रदायिक दंगा होता था तो राज्य के जो सुरक्षा बल थे उन पर अविश्वास करते हुए उन राज्यो के लोग सीमा सुरक्षा बल को भेजने की मांग करते थे और सीमा सुरक्षा बल के लोग वहां भेजे जाते थे और वह उनकी सुरक्षा करते थे । महोदय, सीमा सुरक्षा बल जितने बड़े क्षेत्र का दायित्व संभालता है उसके हिसाब से बल की संख्या बहुत कम है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार दो लाख से भी कम जवान इस बल में हैं । मैं समझ ता हूं कि यह बहुत कम है । इस बल में जवानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । मैंने लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का जो भाषण हुआ था, उसको पढ़ा है। उसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आई और उस पर मुझे आश्चर्य भी हुआ, इस की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें यह कहा गया था कि वहां पर बहुत से उच्च पदों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि डेपूटेशन पर लोग आ नहीं रहे हैं । महोदय, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि कई राज्यों से आई0पी0एस0 अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा बल में डेपूटेशन के लिए अपने नाम केंद्र सरकार के पास भेजे हैं और वे अधिकारी यहां इस बात की पैरवी करवाने के लिए हम लोगों के पास भी आते हैं कि अगर यहां से हमें क्लियरेंस मिल जाए तो हम अपने राज्य से छुट्टी लेकर यहां ज्वाइन कर लें । तो माननीय मंत्री जी अगर इस पर ध्यान देंगे तो इस विभाग में अधिकारियों की जो कमी है वह दूर हो सकती है, वे यहां पर आ सकते हैं ।

श्रीमन, जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा कि बहुत छोटा सा बिल है, इसको पारित करने मे किसी को आपत्ति नहीं है, सब की सहमति है । इसलिए जितनी जल्दी हो सके, इसे पारित कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा । मैं इन शब्दों के साथ बिल का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सीमा सुरक्षा बल विधेयक, 2000 का जो यह विधेयक आया है, मैं इसका समर्थन करती हूं क्योंकि यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 428 के अनुसार जो न्यायोचित सुविधाएं आम जनता को दी गई थी जिसको भारतीय आर्मी ने भी 1992 में अपने सैनिकों को उपलब्ध करा दिया, वही सुविधा न्यायिक प्रक्रिया की सुविधा सीमा सुरक्षा बल के लोगों को भी मिले, यह बहुत ही अच्छा कदम है, स्वागतयोग्य कदम है । यह छोटा सा संशोधन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है क्योंकि यह उस प्रक्रिया को बताता है कि किसी व्यक्ति को दोहरी सजा न काटनी पड़े । 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आग्रह किया था कि इस प्रकार का संशोधन ला कर बी0एस0एफ0 को भी यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिये लेकिन विलम्ब होते होते चार साल हो गये न जाने कितने हमारी सीमा सुरक्षा बल के लोगों को अन्याय सहना पड़ा होगा । महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक इसलिए है कि यह व्यवस्था करता है कि यदि बी0एस0एफ0 के किसी जवान का कोर्ट मार्शल हो रहा हो, जितना समय भी कोर्ट मार्शल के दौरान उसने जेल में काटा होगा और जो सजा सुनाई जाने वाली है उस व्यक्ति के द्वारा भोगी गई अभिरक्षा की कालावधि में से उस सजा को कम कर दिया जाएगा । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चीज़ राष्ट्र के आम नागरिक को प्रदत्त थी, वह इनको नहीं मिली थी । इसलिए उस वक्त इसका महत्व और भी बढ़ जाता है । इसमें बहस या विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है । जो आर्मी के एक्ट का 1992 में 169 (a) के द्वारा संशोधन किया गया था वह बी0एस0एफ0 के लिए होना बहुत जरूरी था । देर आयद, दुरुस्त आयद। मगर सही समय पर यह आ गया क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के बारे में पूरा देश चिंतित है । सरकार द्वारा उन्हें वही सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वह बहुत कम है । सीमा सुरक्षा बल की महत्ता तो पूरा देश जानता है । जब वह अपने प्राण हथेली पर रख कर हमारी सीमाओं पर सजग प्रहरी की तरह जागता है तब हम लोग घरों में चैन की नींद सोते हैं और वह अपने सिर पर कफन बांध कर सीमा की सुरक्षा करता रहता है । तभी यह देश महफूज है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के महत्व को देखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिये क्योंकि यह तस्करी को भी रोकने का काम करता है । सीमा सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने का काम करता है । उग्रवाद से लड़ता है । हमारे देश में जहां कहीं भी विशेष संकट होता है, उसमें सहायता करता है । इसका अपना महत्व है । आजकल आतंकवादी लोग, उग्रवादी लोग नये नये सोफिस्टीकेटेड वेपंस ले कर लड़ रहे हैं । तमाम तरह से हमले हो रहे हैं । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि सीमा सुरक्षा बल का पुनर्गठन करें, उन्हें नये नये हथियार, आधुनिकतम यंत्रों से सुसज्जित करें । उनको, जो भी सुविधाएं कम हैं, उनको मुहैया कराएं ताकि उनको एक पल के लिए भी ऐसा न लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है । उनके लिए पूरे देश के कानून समान हैं, ऐसा उनको अहसास हो । साथ ही साथ जितनी भी पैरामिलिटेरी फोर्सिज़ हैं, सब में यह नियम लागू होना चाहिये, सब के लिए एक सा कानून होना चाहिये । सीमा सुरक्षा बल के महत्व को समझते हुए इसका पुनर्गठन करें । मुझे लगता है कि सीमा सुरक्षा बल के पुनर्गठन की दिशा में यह जो महत्वपूर्ण संशोधन आप लाए है, वह एक अच्छा कदम है इसलिए इसको लागू किया जाए । इसके साथ साथ उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएं ताकि हमारी सीमा पर जो खतरा मंडरा रहा है, जम्मू- कश्मीर की वादियां रक्तरंजित हो रही हैं, हमारे देश के अन्दर एक विस्फोट हो रहा है, उन सब का मुकाबला करने के

लिए सीमा सुरक्षा बल अपने परिवार की चिंता से मुक्त हो कर वीरोचित रूप से इस देश की रक्षा कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं, स्वागत करती हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम अनेक विवादों से हट कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार और उस पार जाने की बात और उन पर जो सुरक्षारत सैनिक हैं उनकी बातें कर रहे हैं। जो यह संशोधन बिल लाया गया है, यह एक मामूली से संशोधन के लिए लाया गया है जिसके अनुसार जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 428 के अनुसार जो न्यायोचित सुविधा आम जनता को मिलती है और सन् 1992 में जिसे भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को मुहैया करा दिया है ।वही सुविधा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बीएसएफ के जवानों को भी दी जाए। सन् 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आग्रह किया था कि इस प्रकार का एक संशोधन यथाशीघ्र लाया जाए और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बीएसएफ के जिन जवानों को यह सुविधा नहीं दी जाती उन्हें यह उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यत: यह संशोधन यह व्यवस्था करता है कि जब बीएसएफ में किसी जवान के साथ न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो तो जितना समय उसने इसमें गुजारा हो, सजा सुनाई जाने के बाद वह अवधि सजा में से घटा दी जाए। यह संशोधन बहुत देर के बाद लाया गया है। मैं इस संशोधन का स्वागत करते हुए कुछ-एक सुझाव देना चाहूंगी।

महोदय, बीएसएफ के निर्माण का मूल उद्देश्य सांगठनिक अर्थात देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ा है। आरंभ में यही उनका मूल काम था अर्थात युद्ध, शांति अथवा सीमा पर आई आकस्मिक मुसीबतों में सुरक्षा के लिए सजग प्रहरी की भूमिका निभाना। सन् 1988 में विविध जो सीपीओ थे उनकी जनशक्ति 1.36 लाख थी। अब 10 वर्षों के बाद बढ़कर करीब 1.83 लाख हुई है। लेकिन यह जरूरत से बहुत कम है क्योंकि इस बीच और समानान्तर समस्याएं सरहदों पर उभरी हैं। आतंकवाद और उग्रवादी हमलों ने सीमावर्ती प्रदेशों के लोगों की नींदें छीन ली हैं। जम्मू-काश्मीर अंचल में निरंतर प्राक्सी वार के खतरों से जूझना पड़ रहा है। यद्यपि उत्तरपूर्व अंचल में प्राक्सी वार के हालात नहीं हैं फिर भी स्थानीय भीतरी सुरक्षा खासकर त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम में अंतर्राष्ट्रीय सरहदों पर कुछ उग्रवादी संगठनों, विघटनकारी ताकतों और आईएसआई जैसी विदेशी एजेंसियों की मिलीजुली साजिशों ने बीएसएफ को और अधिक शक्तिशाली बनाने की मांग को बढ़ा दिया है। इधर सरहदों पर खतरनाक ढंग से घुसपैठ और ड्रग ट्राफिकिंग के खतरे बढ़े हैं, इन्सरजेंसी बढ़ी है। हमारे देश के अनेक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिल्कुल खुली हैं। नदियां, पहाड़ों अथवा अन्य किसी दुर्लघ्य प्राकृतिक व्यवधान के माध्यम से सुरक्षित नहीं हैं ये सीमाएं। इधर बीएसएफ को आंतरिक सुरक्षा में बड़े पैमाने पर ड्यूटी दी जा रही है। देश में बाढ़ हो, सूखा हो, चक्रवाती हवाएं हों, इन्हें वहां ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाता है जिससे इनका मूल कर्तव्य छूट जाता है। एक अखबार में सूचना थी कि करीब वन थर्ड बीएसएफ के जवान ऐसी ड्यूटीज में लगे रहते हैं और सीमाओं के खतरों से भी जूझते रहते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगी कि उन्हें उनके मूल कर्तव्य पर चौकस रहने के निर्देश दिए जाएं जिससे ट्रांस बार्डर आतंकवाद, सीमा से जुड़े अपराध एवं अनवांछित घुसपैठ को रोका जा सके। नई मांग के अनुरूप उन्हें नए ढंग से दीक्षित और नए प्रकार के हथियारों से लैस किया जाए, पदोन्नति संबंधी नीतियां तय कर दी जाएं और उनके कर्तव्य निर्धारित कर दिए

जाएं जिससे वे आम जनता को परेशान न करें और घुसपैठियों को आइडेंटीफाई कर सकें।

मैं समझती हूं कि इस पूरे एक्ट को समयानुकूल, नए संदर्भ में प्रासंगिक और नई स्थितियों से जूझने में सक्षम बनाने की जरूरत है। उनकी बुनियादी जरूरतों, सुविधाओं, पारिवारिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा की गारंटी भी दी जाए। व्यक्तिगत परेशानियों से युक्त जीवन दायित्वों के निर्वहन में बाधक हो सकता है इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि इस छोटे से संशोधन को तो किया ही जाए, इसका मैं स्वागत करती हूं लेकिन पूरे बिल के संशोधन करने की भी आवश्यकता है जिससे कि इसका भी नवीनीकरण किया जा सके। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shri Virumbi. You have two minutes' time.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Sir, the Border Security Force (Amendment) Bill that is brought before us is going to provide a facility to the BSF personnel, that is, the period of custody undergone by a BSF person, if a Security Force Court convicts him, has to be set off against the period of sentence imposed upon him.

Sir, I take this opportunity to highlight some very important issues that are faced or confronted by the BSF. Sir, you know insurgency is there in eleven States in India. Therefore, the job of the BSF is very hazardous. Previously, they had to consider only the climatic conditions. Now, the cross-border terrorism makes the public hesitant to join the BSF. That is the situation. Therefore, the facilities that are extended to the BSF should be such that they should be welcomed by one and all. During the Kargil stand-off an important matter was published in the Press that the BSF people, who were working there, were suffering from swollen feet or ulcer caused by perspiration due to woollen socks. This is due to perspiration in-between the legs and the socks. Now, a new invention has taken place in Germany. They are manufacturing some kind of socks which will provide you protection but, at the same time, there will be no perspiration. The Government of Pakistan had purchased this kind of socks and issued them to the people who were crossing into India. I request the Government to verify this information. If it is correct, we have to take it up with the German Government and see that the same quality socks are being purchased and provided to our BSF people as also Defence people. This is number one.

The BSF is interconnected with the defence. In the Defence

Service there is a minimum period for pension. Some people, before the completion of the minimum period for becoming eligible to pension--they fall short of one year or one-and-a-half years for becoming eligible for pension--have to go out of the service or are being sent out. They would not get pension. I am not recommending pension for them. Whatever the rules and regulations stipulate, they have to abide by that. But, at the same time, people who have worked for more than ten years or twelve years or are short of one year or one-and-a-half years' service, are denied the other facilities. For example, the wards of those jawans who happen to retire or to submit their resignation or are being sent out one year or one-and-a-half years before the completion of the minimum period of service which makes them eligible to get the pension, are not given the education facilities. Therefore, I request the Government that all other facilities, except pension, should be provided to the Defence people, if they have served 80 per cent of the minimum period of service. Such facilities should be given to the children of jawans. By doing so, what I feel is that the human resource development in India can be further strengthened. The Government should take into account this also while coming to a decision. With these words, I conclude and support this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Shri R. Margabandu. You have only one minute.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, this amendment was brought before the House by the Government on account of either the advice or the direction given by the Supreme Court. While welcoming this Bill, I would like to make some suggestions. Some provisions were introduced in section 428 of the Cr.P.C. in the year 1978. Same provisions were incorporated in section 169A of the Army Act by bringing an amendment in 1992. When this was pointed out by the Supreme Court, the Government came forward with this Bill. No doubt, this is a Bill which enables a person who is convicted to imprisonment to consider the time of undertrial, when an investigation or trial or inquiry was conducted, as the period of imprisonment and to set it off against the total period of imprisonment.

It is all right. The Border Security Force people who are sacrificing their lives for the nation know fully well that their life is at stake. They know that they will have to sacrifice their life any time. But the people join the

BSF with this determination. I am proud to say that the North Arcot district in Tamil Nadu, from where I come, has sent at least one person from one family to the BSF. Almost all the families have sent one person to the BSF. The facilities, whether financial or other prerequisites that are given to the Border Security Force people, who are sacrificing their lives for the nation, should be enhanced. As has been said earlier, the benefits should be given to them liberally. While the Government has come forward with this enactment, one more enactment is also necessary. During trial or investigation or inquiry, if a person has to remain in prison, that period must be deducted from the imprisonment time. My humble request to the Government is that a new provision has to be incorporated in this Act. If a person remains in jail during the course of the trials and ultimately, if he is not found guilty, what is the compensation given to him? What is the provision in this regard? As a matter of fact, in several cases, the police or some other authority under political influence implicate innocent persons in certain cases. I would like to cite the instance of my leader.

Our leader was arrested in a certain case. She remained in jail for 28 days. She had to undergo all sorts of hardships in the jail. Ultimately, the court had acquitted her. What compensation did she get? Just like that, many innocent persons are put in jail but are ultimately found innocent. Therefore, I urge upon the Government either to make a provision to pay some compensation to persons who ultimately are proved innocent or some action should be taken against those persons who wrongly initiate criminal proceedings against the innocent persons. A sadist Government in Tamil Nadu put up a case against my leader and for 28 days she was kept in jail. She had to undergo all sorts of hardships in the jail. What action has the Government taken against..*(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Your time is over. *(Interruptions)*.

SHRI R. MARGABANDU: Sir, she remained in jail for 28 days for no fault of hers. Ultimately, she was not found guilty. What is the Government going to do...*(Interruptions)*.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, what he is saying...*(Interruptions)*.

SHRI V.P. DURAISAMY: Sir,...*(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): We are not discussing it. *(Interruptions)*. I cannot allow any discussion on his statement. Mr. Margabandu, please conclude. Your time is over. *(Interruptions)*. Shri H.K. Javare Gowda. *(Interruptions)*. Mr. Margabandu, please sit down. Your time is over.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, ...*(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): It is not fair. It is his turn. *(Interruptions)*. Shri H.K. Javare Gowda. *(Interruptions)*. Nothing will go on record.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA (Karnataka): Sir, good sense has prevailed upon the Government. The Government has come forward with this Bill. I welcome this Bill.

It is perhaps one of the Bills which has been introduced soon after the judgement of the Supreme Court. It has been the rule that in the case of ordinary citizens and security forces, when the persons are in prison at the time of trial, then that period is set off against his actual term. It was not fair that that provision was not extended to the BSF. Now, after the observation by the Supreme Court, the Government has brought in this Bill. This should have been brought much earlier. Under the present circumstance, if a person has undergone imprisonment during the course of the trial, when the case is disposed of finally, then the total period can be set off. That is the intention and the object of this Bill. And it is a humane thing. So, I welcome this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now the Minister to reply. Mr. Minister, before you reply, I would like to say one thing. I am not trying to raise an issue pertaining to Tamil Nadu or anything else. There is a common complaint that arrests are made by the officers concerned and, finally, it is found that the people were innocent. It is because of this that our jails are full of undertrials. You can look into that aspect also.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I have a point of order in connection with what the hon. Member, Shri R. Margabandu, has said. He

has used the word 'sadist'..*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Let me hear him. Only then I can say whether he is right or wrong.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Rule 238 clearly states that a Member, while speaking, shall not utter treasonable, seditious or defamatory words. A Member is entitled to speak whatever he wants. That is a different thing. But he should not use defamatory words. Therefore, the word 'sadist' must be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): I will look into the record. If it is unparliamentary, then it shall be removed.

श्री आई0डी0 स्वामी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का और विशेष तौर पर उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बहुत वैल्युएबल सजेशन्स दिए हैं । मुझे प्रसन्नता भी है कि सारे हाऊस के ऑनरेबल मैम्बर्स ने चाहे वे किसी पार्टी से या किसी स्टेट से ताल्लुक रखते हों, उन्होंने एक स्वर में बी0एस0एफ0 की प्रशंसा की है कि हमारे बी0एस0एफ0 के नौजवान न सिर्फ हमारी सीमाओं की हिफाजत करने में सतर्क हैं, बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानी करने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि देश में जो इंटरनल सिक्युरिटी का खतरा पैदा हुआ है, वे उसका भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं । एक ऑनरेबल मैम्बर ने तो यहां तक कहा कि 13 स्टेट्स में यह प्रॉब्लम है, सारे देश में यह प्रॉब्लम है और देश में आई0एस0आई0 की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इन सब को देखते हुए बी0एस0एफ0 का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है और लगभग सभी मैम्बरान् ने एक स्वर में एक बात कही है कि बी0एस0एफ0 के लोगों के लिए, बी0एस0एफ0 के जवानों के लिए, बी0एस0एफ0 के पर्सनल के लिए और फैसिलिटीज दी जाएं, उनको आर्मी के बराबर रखा जाए, यह बात बिल्कुल सही है । पहले जब वार की बात की जाती थी, सीमाओं की हिफाज़त की बात की जाती थी तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि आर्मी को सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं, फौज को सारी चीजें मुहैया की जाएं क्योंकि फौज हमारी सीमाओं की, सरहदों की रक्षा करती है । आज इस देश में जो वार लाइक सिचुएशन पैदा हुई है, जो इंटरनल सिक्युरिटी की प्रॉब्लम पैदा हुई है, मैं आभारी हूं इस हाऊस के उन सभी मैम्बरान् का जिन्होंने इसका ज़िक्र किया कि आज इंटरनल सिक्युरिटी की कांशियसनैस इतनी ज्यादा है कि वे यह समझते हैं कि न केवल बी0एस0एफ0 बल्कि तमाम पैरा मिलिट्री फोर्सिस को फैसिलिटीज़ भी ज्यादा दी जाएं, उनकी स्ट्रेंग्थ भी ज्यादा बढ़ाई जाए, उनका माडर्नाइजेशन भी किया जाए और इन सब बातों की चर्चा आज यहां हुई ।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जहां तक माडर्नाइजेशन का सवाल है, बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ., इन सभी फोर्सेज के माडर्नाइजेशन के लिए काफी धन जुटाया जा रहा है और यही नहीं, केन्द्रीय सरकार इस माडर्नाइजेशन के लिए, स्टेट पुलिस के माडर्नाइजेशन के लिए, हालांकि यह स्टेट की अपनी जिम्मेदारी है, उनको नये हथियार देने के

लिए, कम्युनिकेशन के नए इक्विपमेंट्स देने के लिए, कम्युनिकेशन के नए चैनल्स देने के लिए, और ज्यादा धन दे रही है ।

महोदय, जहां तक फैसिलिटीज का सवाल है, मैं इतना ही कहूंगा कि जो फैसिलिटीज़ आर्मी को हैं, तकरीबन वही फैसिलिटीज़ बी.एस.एफ. और दूसरी पैरा मिलिट्री फोर्सेज के लिए हैं और जहां तक उनको स्ट्रैंथन करने का ताल्लुक है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, पिछले साल बी.एस.एफ. की 3 और बटालियंस रेज़ की गई हैं और यह एक कंटीन्युअस प्रोसेस है, इसकी छानबीन होती रहती है और यह एक परपैच्युअल प्रोसेस है, पर्सनल की स्ट्रैथ बढ़ाना, उनके मैनेजमेंट में क्या-क्या बेहतरी हो सकती है, यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। मैं आपके माध्यम से हाऊस को विश्वास दिलाता हूं कि इंटर्नल सिक्योरिटी के खतरे बढ़ने के बाद और भी जिम्मेदारी के साथ इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और जब-जब जरूरत पड़ती है, हम इसका विस्तार करते हैं, जैसा मैंने कहा कि पिछले साल ही बी.एस.एफ. की 3 बटालियंस रेज़ की गई हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी ।

महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि लोकसभा में जब इस बिल पर बहस हो रही थी तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न उनको था कि वहां यह कहा गया कि डेपुटेशन पर जो आई.ए.एस. से और दूसरी सर्विसेज के लोग बी.एस.एफ. में आते हैं, उनकी कमी है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह नहीं कहा गया था, बल्कि चर्चा में यह बात आई थी कि क्या बी.एस.एफ. में हॉयर लेवल पर, डी.आई.जी. और आई.जी. लेवल पर दूसरी सर्विसेज़ से लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं ? तब हमने यह कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि दूसरी स्टेट्स से आई.पी.एस. के और दूसरी सर्विसेज के लोग आना चाहते हैं । माननीय सदस्य का यह ख्याल था कि यह कहा गया है कि लोग नहीं आना चाहते । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा गया था कि लोग आना चाहते हैं और ऐसी कोई कमी नहीं है । रूल्स के मुताबिक कुछ परसेंट लोग अपने यहां से प्रमोट होते हैं और कुछ परसेंट बाहर से डेपुटेशन पर लिए जाते हैं । बाहर से डेपुटेशन पर लोगों को लेने की जितनी रिक्वायरमेंट है, उतने लोग अवलेबल हैं और लोग डेपुटेशन पर आते रहते हैं, इसमें कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं आई है जिससे हम ऐसा महसूस करें कि बी.एस.एफ. में डेपुटेशन पर आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं।

महोदय, यहां पर केवल बी.एस.एफ. ही नहीं बल्कि दूसरी पैरा मिलिट्री फोर्सेज की बात भी की गई और गुजरात में ऐट्रॉसिटीज़ का जिक्र आया । मैं इस बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बम ब्लास्ट केसेज पर हुई चर्चा के दौरान हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने डिटेल्ड जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने सारे देश की इंटर्नल सिक्योरिटी की पोज़ीशन का जिक्र किया था और इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी भी चर्चा की थी । उसमें गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोआ, इन सब राज्यों का जिक्र आया था और उसमें दीनदार-अंजुमन की बात आई थी, आई.एस.आई. की बात आई थी । लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों ने इन चीजों का जिक्र किया है, इसलिए मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वह गुजरात की बात हो या अन्य किसी प्रदेश की बात हो, चाहे बी.एस.एफ. की बात हो या सी.आर.पी.एफ. की बात हो, चाहे वह जम्मू में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, इस बारे में हम डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेकर चीफ-मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस, होम मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में, सभी जगह इसकी चर्चा करते रहते

हैं और अभी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कान्फ्रेंस हुई थी, वहां भी इन बातों की चर्चा की गई कि जहां भी ऐसी ऐट्रॉसिटीज़ होती हैं, चाहे वे किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हों, कहीं भी ऐसा हुआ हो, कहीं भी नरसंहार हुआ हो, उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति उसमें लिप्त है, शामिल है, चाहे वह किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो या वह कोई इंडिविजुअल हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसमें कोई ढील न बरती जाए, यह बात बार-बार केन्द्रीय सरकार की तरफ से, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से कही गई है और होम मिनिस्ट्री इसके लिए हमेशा तत्पर है कि उन सब के साथ बात की जाए। यही वजह है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दोनों के पुलिस के कर्मचारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर और जो इंटेलिजेंस केन्द्रीय सरकार के पास मौजूद थी उनसे बात करके यहां तक पहुंचे कि दीनदार अंजुमन जो वेरी लिटिल नोन आर्गनाइजेशन है जिसका अभी तक पता नहीं था। उसके 35 लोग अब तक गिरफ्तार हो चके हैं, 62 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और जिनके घरो पर जब छापे मारे गए और वहा से वह चीज मिली जिस पर ओम् छपा हुआ था, ऐसे-ऐसे पोस्टर भी मिले जिससे यह पता लगता था कि वे जानबूझकर दो कम्युनिटी में डिफेक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई फिरकों में ज्यादा से ज्यादा तादाद हो, उनमें द्वंद पैदा हो ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें पैदा करने के लिए मेटीरियल भी मिला है। ये बहुत सारी चीजें छानबीन के अंदर हैं। ज्यादा तो आज मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह मैं आपको और इस हाऊस को इतना विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगा कि उसके बारे में बहुत छानबीन की जा रही है और कोई कसर इसमें नहीं रखी जाएगी।

जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में एक युद्ध जैसी स्थिति है। उसको प्रोक्सी वार कहते हैं। प्रॉक्सी वार की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम प्रॉक्सी वार के लिए अपने हदूद के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर पूरा इंतजाम करने के लिए तत्पर हैं और उसके लिए छानबीन की जा रही है। युद्ध स्तर पर प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए जो पैरा मिलट्री फोर्स और वहां जो आर्मी है उसको जितनी मदद हो सकती है वह दी जा रही है। इस बारे में इस हाऊस की एक यूनेनिमस ऑपिनियन थी बी0एस0एफ0 के बारे में नहीं, आर्मी के बारे में थी और मुझे प्रसन्नता है और इस हाऊस का मैं आभारी हूं कि जो सभी लोगों ने इस बात की चर्चा की है, इस बात की प्रशंसा की है कि ये कई फोर्स पूरी तत्परता से लड़ाई लड़ रहे हैं।

SHRI EDUARDO FALEIRO : Mr. Vice-Chairman, Sir, I think the hon. TDB-Minister did not understand my point, and he has not clarified my point. What I said was that this House did not discuss at all the terrible thing that happened for the last one week or more, in the wake of the *bandh* call given by the VHP after the Amarnath killings. That issue was never discussed in this House, and that is very unfortunate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA) : The question is:

"That the Bill further to amend the Border Security Force Act, 1968, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI I.D. SWAMI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH BAGRODIA): Now, we will take up the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2000.

THE CABLE TELEVISION NETWORKS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this was an Act intended to regulate the cable network system within India. At the time when this Act was adopted and put into implementation, perhaps, we did not have sufficient experience because, at that time, this industry in India was nascent. Now, for the last five - six years, after seeing the functioning of this Act, there are a few amendments which have been necessitated. Probably, these amendments are in three - four categories. I will just specify each one of them. The main amendment being that, in section 5 and section 6 of the original Act, there was a provision for a broadcasting code and an advertising code, to be provided